मध्य प्रदेश वित्त सेवा अधिकारी संघ

M.P. Finance Service Officers Association

Reg.No. 20276

अध्यक्ष
रणजीत सिंह चौहान
7974031736

उपाध्यक्ष
आदित्य सिंह भदौरिया
7000451744
श्रीमति मनीषा मिश्रा
7000324540
श्रीमति अमिता श्रीवास्तव
6264452054
गणेश कुमार धाकड़
9425800730

कोषाध्यक्ष
निखिलेश राकेशिया
9827063256

सचिव
विवेक कुमार घारू
9407532895

संगठन मंत्री
तेजनारायण सिंह

सांस्कृतिक सचिव
बसंती आठ्या

सह सचिव
चंद्रकांत साहू
ऊषा सरयाम
आशीष नंदनवार

संघ प्रवक्ता
अरविंद कुमार गुप्ता

कार्यकारिणी सदस्य
गुणवंत सेवतकर
राजेश मौर्य
अमन पस्तोर
अमर गांजरे
सुनील भदौरिया
रोशनलाल दोनेरिया
रविन अवास्या
अमित श्रीवास्तव
अमित कुमार यादव
योगेन्द्र श्रीवास्तव
रीना यादव
लक्ष्मी नारायण चौहान

क्रमांक 808 म.प्र.वि.से.अधि.सं./2023–24/ भोपाल, दिनांक 13/1/25

प्रति,

प्रमुख सचिव,
वित्त विभाग म.प्र. शासन मंत्रालय,
भोपाल

विषयः—वित्त विभाग द्वारा वरिष्ठ वेतनमान, प्रवर श्रेणी वेतनमान, वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान एवं अधिसमय वेतनमान में चयन द्वारा नियुक्ति के संदर्भ में।

वित्त विभाग द्वारा,वित्त सेवा संवर्ग के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी में चयन (नियुक्ति) के कुल चार प्रथक–प्रथक आदेश दिनांक–31.12.2024 को जारी किये गये। **इसके लिए संघ शासन का आभार व्यक्त करता है।**

उपरोक्त चारों जारी आदेशों में, विभिन्न श्रेणी के वेतनमान, जिस दिनांक से अधिकारियों को दिये गये है इसका उल्लेख किया गया है परन्तु, इसके साथ–साथ **"कार्य नहीं वेतन नहीं"** का भी उल्लेख है इस संबंध में संघ का प्रतिवेदन निम्नानुसार हैः—

1. वर्ष 1964 में वित्त सेवा संवर्ग गठन के दौरान केवल दो स्तरीय वेतनमान (कनिष्ठ श्रेणी एवं प्रवर श्रेणी) था। तद्पश्चात वर्ष–1984 में वित्त विभाग द्वारा वित्त सेवा का तीन स्तरीय वेतनमान (कनिष्ठ वरिष्ठ एवं प्रवर श्रेणी वेतनमान) स्वीकृत किया गया। तब से जिसने भी आदेश जारी हुए है, सभी आदेशों मे डयू डेट से वेतन भत्तों का लाभ दिये जाते रहे थे। इस दौरान जारी चयन द्वारा नियुक्ति के **आदेशों में कही भी "कार्य नहीं वेतन नहीं" का उल्लेख नहीं रखा गया था।**

2. वर्ष–1991 में वरिष्ठ प्रवर श्रेणी का "चौथा वेतनमान" (अपर संचालक स्तर) स्वीकृत हुआ तथा वर्ष 2013 में अधिसमय वेतनमान का "पॉचवा वेतनमान" (संचालक स्तर) स्वीकृत हुआ इस समय प्रवर श्रेणी से वरिष्ठ प्रवर श्रेणी तथा वरिष्ठ प्रवर श्रेणी से अधिसमय वेतनमान में PSC के माध्यम से **"पदोन्नति"** का प्रावधान रखा गया था। इसीलिए इस दौरान **इन दोनों स्तरों के पदोन्नति के जारी आदेशों में, "कार्य नहीं वेतन नहीं" का सिद्धांत लागू किया गया जो पूर्णतः सही था।**

3. सेवा भर्ती नियमों में संशोधन के पश्चात, वर्ष–2018 से वित्त सेवा संवर्ग के सभी वेतनमानों को एक समान, **"चयन द्वारा नियुक्ति"** वाली क्रमोन्नति प्रक्रिया में परिवर्तित कर दिया गया।

→

कार्यालय : F-108/54, शिवाजी नगर, भोपाल – 462016
यशवन्त सिंह,मो.नं. 8817715763,ईमेल : vittavyavasthavp@gmail.com

D Y27

4. वित्त सेवा के अंतर्गत 08 वे, 16 वे, 30 वे एवं 35 वे वर्ष में प्रदान किये जाने वाली राज्य शासन की ''क्रमोन्नति प्रक्रिया'' का प्रावधान नहीं है न ही किसी भी स्तर पर पदोन्नति का प्रावधान है। **राज्य प्रशासनिक सेवा की तरह वित्त सेवा में भी सभी स्तरों पर ''चयन द्वारा नियुक्ति'' का प्रावधान वर्ष–2018 से निरंतर लागू है।**

5. सामान्यता **पदोन्नति में ''कार्य नहीं वेतन नहीं''** का सिद्धांत लागू होता है क्योकि पदोन्नत पद में ज्वाईनिंग रिपोर्ट देने अनिवार्य है **इसीलिए पदोन्नति में ''कार्य नहीं वेतन नहीं'' का सिद्धांत लागू होता है।** जबकि **''क्रमोन्नति/चयन प्रकिया द्वारा नियुक्ति''** में एक निश्चित तिथि से वेतनमान स्वीकृत किया जाता है, इस प्रक्रिया के अंतर्गत किसी पद पर ज्वाईनिंग का प्रावधान नहीं होता। ज्वाईनिंग किसी पद पर की जाती है, किसी प्राप्त हो रहे वेतनमान पर नहीं। **इसीलिए ऐसे प्रकरणों में ''कार्य नहीं वेतन नहीं'' का सिद्धांत लागू नहीं होता है।**

6. राज्य पुलिस सेवा तथा राज्य प्रशासनिक सेवा के जारी आदेशों मे भी ''कार्य नहीं वेतन नहीं'' का सिद्धांत लागू नहीं होता है। (आदेश की फोटो प्रति संलग्न)

संक्षेप में, पूर्व में वित्त सेवा के अंतर्गत कुछ स्तरों पर पदोन्नति का प्रावधान था तथा कुछ स्तरों पर चयन का प्रावधान था परन्तु वर्ष–2018 से वित्त सेवा संवर्ग के सभी वेतनमानों में ''चयन द्वारा नियुक्ति'' दिये जाने का ''सेवा शर्ते एवं भर्ती नियमों'' में संशोधित प्रावधान कर दिया गया है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि, वर्ष–2018 के बाद से, वित्त विभाग द्वारा सभी श्रेणियों में ''चयन द्वारा नियुक्ति'' के आदेश जारी किये गये है उन सभी में ''कार्य नहीं वेतन नहीं'' की टीप विलोपित किये जाने के आदेश जारी करने का अनुरोध है।

आशा है संघ के इस अनुरोध/प्रतिवेदन पर आप, वित्त विभाग के अधिकारियों को वर्ष–2018 से जारी सभी चयन द्वारा नियुक्ति के आदेशों की पुनः समीक्षा करने के निर्देश जारी करेगे तथा उचित संशोधित आदेश भी शीघ्र की जारी करवायगे।

अध्यक्ष

Y27
2025, 12:55